5825 Oral Answers DECEM

DECEMBER 21, 1964

ग्रौर जो ग्राल इंडिया फेडरेशन डाक वर्कस का है, वह काम कर रहा है । योड़े से हिस्से में कम्युनिस्ट भी हैं ।

श्री तुलशीदास जावव ः वहां पर कितनी यूनियनें हैं जिन को मान्यता दी गई है ग्रौर क्या गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों से सलाह ली जाती है ।

श्री **२० कि० मालवोय** : नहीं ऐसी बात नहीं हैं। जो मान्यता-प्राप्त यूनियनें नहीं हैं उन को हम नहीं मानते ग्रौर न उन से सलाह लेते हैं, ग्रौर न उन को सलाह देने के लिये हम कोई प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन ग्रगर वह किसी फेडरेशन के साथ अफिलि एटेड हैं तो ऐसी हालत में हम फेडरेशन की राय लेते हैं।

Shrimati Sharda Mukerjee: May I know Government's reaction to the opposition of the labour unions regarding the mechanical offloading of ships since a lot of labour will become unemployed if that is done?

Mr. Speaker: That is a different question altogether.

Shri Oza: May I know whether Government are having any expert advice to assess the workloads to see that the incentives scheme does not add to the workload unnecessarily causing harm to the labourers?

Shri D. Sanjivayya: This question was gone into by the one-man committee called the Jeejheebhoy Committee.

श्री शिव नारायण ः मैं जानना चाहता हूं कि जो मेमोरेन्डम इस मिनिस्ट्री को मिला है उसका एग्जामिनेशन करने में कितना समय लगेगा ।

श्री र॰ फि॰ मालवीय : अभी मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि यूनियनों के सुझाव इस महीने के ग्राखिर तक ग्रा जायेंगे और पहली फरवरी से सकीम को लागू कर दिया जायेगा। श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि यूनियन्स से जो सुझाव ग्रायेंगे वे पूर्णतया मान लिये जायेंगे या उनमें कोई संझोधन किया जायेगा, यदि मान लीये जायेंगे तो उन सुझावों को लागू करने में कितना समय लगेगा ।

श्री र० कि० मालवीय : ग्रभी वतलाया गया कि उन पर विचार किया जायेगा झौर उनको पहली फरवरी से लाग् किया जायेगा ।

Indian Citizenship for Migrants from Abroad

+ *592. { Shri Onkar Lal Berwa: { Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to confer full citizenship rights on refugee Indians coming from East Pakistan and repatriates from Burma and other African countries; and

(b) if so, when and the number of such refugees?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) These persons can acquire Indian citizenship after they have fulfilled the conditions laid down for that purpose in the Citizenship Act, 1955 and the rules made thereunder.

(b) Does not arise.

श्वी क्रोंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने शरणार्थी हैं जिनकी नागरिकता के बारे में विचार किया जा रहा है ।

श्री दिनेश सिंह : मुझे यह मालूम नहीं है कि किसी ने नियम के अनुसार दर्ख्वास्त दी है या नहीं। डम वक्त तो जो नियम बने हैं उनके हिसाब से उन्ह दर्ख्वास्त देनी है।

5827 Oral Answers AGRAHAYANA 30, 1886 (SAKA) Oral Answers 5828

श्री ग्रोंकार लाल बेरवा : ग्रगर ग्रापको यह भी पता नहीं है कि कितने शरणार्थी हैं तो कैसे काम चलेगा ।

प्रध्यक्ष महोदम : वह कहते हैं कि यह नहीं मालूम है कि कितनों ने दर्ख्वास्त दी है ।

श्री झोंकार लाल बेरवाः कितने शरणार्थी हैं इसको बतलाने में क्या दिक्कत है ।

श्रध्यक्ष महोदयः इस वक्त नहीं बतलासकते ।

श्री **ग्रोंकार लाल बेरवाः** नागरिकता ग्रधिकार पाने के बारे में सरकार उनको क्या क्या सहायता देगी ।

ग्रध्यक्ष महोदयः इसमें सरकार के सहायता देने का सवाल कैसे पैंदा होता है ।

Shri Vidya Charan Shukla: Will the Government be able to say how many such refugees have already been given citizenship rights in India?

Shri Dinesh Singh: To my knowledge, no one has been given.

Shri Himmatsinhji: What is the estimate of the External Affairs Ministry of the number of people who are likely to come from East Africa?

Shri Dinesh Singh: We hope no one will come from there.

Shri Kapur Singh: Is this reversal of the immigration flow of Indians towards back home indicative of our fast falling image in the outside world, or are there some other causes?

Shri Dinesh Singh: I do not see what the hon. Member is actually wanting but they have been working in these countries, there has been nationalisation in some of these countries; they have lost their employment, and therefore they have come back to India.

Shri Hem Barua: On a point of order. He says there has been nationalisation, they have lost their employment, and that is why they are back. That does not apply to East Pakistan migrants.

Mr. Speaker: Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ जो एक बहुत कमजोर समझौता किया है उसकी पृष्ठभूमि में वे भारतीय जो कि दूसरे देशों में रहते हैं, विशेषकर, जंजीबार और टांगानिका में, वहां से उनके निष्कासन में भी बहुत कुछ इसी प्रकार की स्थिति पैंदा हो गयी है कि बह हटाये जा रहे हैं क्या उन्होंने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ लिखा है ?

भी दिनेश सिंह : ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि जंजीबार के बारे में तो अध्यक्ष महोदय, ग्रापको मालूम है कि पहले से ही लोग या गये थे जब कि यह तो अभी वात हुई है सीलोन से ।

Shri P. E. Chakraverti: May I know whether Government proposes to confer citizenship on all the refugees who are coming with or without travel documents?

Shri Dinesh Singh: May I say a word about this? People who are coming back to India, people of Indian origin, are of two categories. Quite a number of them are already Indian citizens, they hold Indian passports, and there is no question of their citizenship at all. Then, there are quite a number of people of Indian origin who can register themselves as Indian citizens under Section 5 of the Nationality Act. It is for them to get themselves registered, and then citizenship would follow.

Shri Vidya Charan Shukla: One point is not clear in the Minister's answer.

Mr. Speaker: Shrimati Yashoda Reddy. Shrimati Yashoda Reddy: After the fall of the Bandaranaike Government in Ceylon, may I know if our agreement with Ceylon gets automatically nullified, or is there any interim arrangement?

Shri Dinesh Singh: No, Sir. It does not get nullified. I explained this to the House last time.

प्रश्लील फिल्मों तथा पोस्टर्स का प्रदर्शन + श्री हुक्म चन्द कछवायः श्री ग्रोंकार लाल बेरवाः *593. { क्षी बड़ेः श्री यु०सिं० चौघरीः श्री ग्रोंकार सिंहः

क्या **सूचना ग्रोर प्रसारण** मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि सरकार ने उन फिल्मों तथा पोस्टर्स का सार्वजनिक प्रदर्शन रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं, जिनका देखने वालों पर चारित्रिक दृष्टि से बुरा प्रभाव पड़ता है ?

सूचना झौर प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांघी) : चलचित प्रधिनियम, 1952 के ग्रन्तगंत कोई भी फिल्म ग्राम लोगों में नहीं दिखाई जा सकती, जब तक कि, उसे फिल्म सेंसर बोर्ड इस योग्य प्रमाणित न कर दे। बोर्ड इस बात की तसल्ली कर लेता है कि कोई भी ऐसी फिल्म न दिखाई जाये जिसके देखने से लोगों का चरित्न गिरे।

जहां तक पोस्टरों का सवाल है, एक अनौपचारिक समिति है जिस के सामने निर्माता अपनी मर्जी से सेंसर के लिये फिल्म सामग्री को (जिसमें पोस्टर भी जामिल हैं) पेश करते हैं । इस समिति के अध्यक्ष फिल्म डिवीजन के कन्ट्रोलर हैं और फ़िल्म उद्योग के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं । सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत अफ़्लील पोस्टरों के खिलाफ मूनासिब कार्रवाई करें । इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस विषय पर जो मोजूदा कानून हैं, उनमें संशोधन की जरूरत है या नहीं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : : क्या मंत्रों महोदय का ध्यान उन कु 3 गन्दी फिल्मों की स्रोर गया है जिनमें प्रश्लील गाने होते हैं ग्रौर उन गानों का प्रयोग कुछ लड़के छावाग्रों पर करते हैं ग्रौर इस तरह की घटनाएं ग्रनेक समाचार पत्नों में छपी भी हैं कि उनको इस शरारत के लिये दण्ड मिला है, तो क्या हमारी सरकार ऐसे प्रश्लील गानों को समाप्त करने जा रही है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman): The position with regard to films, including songs, is different from the posters. Under the Cinematograph Act, they have got a regular censorship, and various provisions are there, with which I will not tire the House. So far as the posters are concerned, it is true that some of them contain pictures which you may not see even in the picture itself. That is to say they have got no sort of control, and therefore, we may even think of amend-ing the Act. Pending that, we have written to the various State Governments, and we have got this informal committee, as the hon. Minister has pointed out, with seven members, who periodically go into these posters.

श्वी हुकम चन्द कछवांय ः मंती महोदय ने बतलाया है कि इसके लिए सात सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई है तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या यह सदस्य ऐसे ग्रज्लील पोस्टरों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो कि बिल्कुल नग्न चित्र होते हैं ग्रौर जिसके कारण लोगों में एक गन्दा विचार पैदा होता है ? क्या उस सम्बन्ध में सरकार कुछ कठोर दण्ड देने का भी इंतजाम कर रही है ताकि ऐसे चित्र फिल्म निर्माता न निकालें ?